*444. [The questioners (Sardar Gurcharan Singh Tohra and Shri Sukhdev Singh Libra) were absent. For answer, *vide* page 24 *infra.*]

*445. [WITHDRAWN]

स्वतंत्रता संग्राम के शहीद

*446. **श्री रमा शंकर कौशिक: @**

प्रो. राम गोपाल यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के स्वतंत्रता संग्राम के महान सपूतों/शहीदों की संख्या कितनी है और उनमें से उनके नाम क्या है जिनके बलिदान को सरकार किसी दिवस के रूप में मनाती है;

(ख) क्या सरकार शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, शहीद उधम सिंह तथा अन्य शहीदों की याद को किसी दिवस के रूप में मनाने पर विचार करना चाहती है या विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) असंख्य लोगों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। उनकी याद में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।

Martyrs of Freedom Struggle

†*446. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK:@
PROF. RAM GOPAL YADAV:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of worthy sons/martyrs of the country's freedom struggle and the names of those whose sacrifice is remembered by Government in observance of some day;

(b) whether Government intend to consider or are considering to celebrate the memory of Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Ashfaqullah Khan, Shahhed Udham Singh and other martyrs in the form of some day; and

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

@सभा में यह प्रश्न श्री रमा शंकर कौशिक द्वारा पूछा गया।

@The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rama Shanker Kaushik

(c) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) Countless people sacrificed their lives for the sake of our freedom. The 30th of January every year is observed as Martyrs' Day in their memory.

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का कहना बिल्कुल सही और उचित है कि 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और वह दिन महात्मा गांधी के बलिदान का भी दिन है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या विशेष रूप से यह बात ध्यान में रखते हुए कि शहीदे आज़म भगतसिंह, राजगुरू, अशफाक उल्ला खान, उधमसिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की एक विशेष भूमिका रही है, क्या इन सभी के नाम से केवल एक दिवस ही मनाने का कोई विचार सरकार कर रही है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य ने उन पांच देशभक्तों के नाम लिए जो सारे देश में आदर के पात्र हैं और जिनके शहीदी दिवस पर हरेक अलग-अलग सोचता है, निश्चित रूप से लोग अलग-अलग रूप से मनाते हैं लेकिन हम इतना ही कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के देश में बहुत सारे लोग हैं। अलग-अलग प्रदेशों में इनके अलग-अलग नाम लिए जाते हैं। जब आजादी की 50वीं वर्षगांठ की स्वर्ण जयंती पर मुझे यह अवसर मिला तो मैं जितने अधिक स्थानों पर जा सकता था मैं गया उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने। परन्तु सरकार ने विचार करके तय किया कि हम सारे शहीदों के नाम पर कोई एक दिन मनाएं और वह 30 जनवरी मनाएं और यह परंपरा जारी है लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि शहीद भगतसिंह या राजगुरू, सुखदेव को 23 मार्च को जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया, अशफाक खान और उधमसिंह को भी चढ़ाया गया, उस दिन को कोई नहीं मनाता। मनाते हैं, सभी लोग अपने-अपने ढंग से मनाते हैं।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the martyrs have laid down their lives for the sake of the country. I would like to known whether, while observing Martyrs' Day on January 30th, the Government would consider organising some special functions with the help of the local Governments in the birth-places of those martyrs who have laid down their lives. In this connection, I had an opportunity to visit the cellular jail in the Andamans. I became a little emotional at that time. I feel that if our young generation people, who are born after the Independence, have an opportunity at least to visit the places of birth or of incarcenation of the martyers, they will get the spirit of patriotism and the spirit of sacrifice. Will the Government of India evolve a scheme to see that the birth places and residences of patriots are maintained in a proper way, and also erect memorials in their respective places and observe functions throughout the country, particularly in the areas where they were born and where they had

lived? There was a discussion in this House about Netaji Subhas Chandra Bose the other day. Will the Government of India make it a national programme?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: वैसे हमारा जो डिपार्टमेंट आफ कल्चर है वह इस विषय में सभी प्रदेशों को हिदायत देता रहता है कि आबजैंवस आफ सेंटिनरजी एंड एनीवर्सरीज आफ इम्पार्टेंट पर्सनेलिटिज, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है कि जिन देशभक्तों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, शहीद हुए, उनके लिए विशेष रूप से अगर सभी प्रदेशों को हिदायत दी जाए तो अच्छा रहेगा, उनके सुझाव पर हम जरूर विचार करेंगे।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न करीब करीब वैकेंया नायडु के प्रश्न से मिलता जुलता है। महोदय, कुछ दिन पहले गोरखपुर के चौरीचौरा स्थान पर मुझे जाने का मौका मिला और वहां पर शहीदों की याद में जो मेमोरियल बना हुआ है उसकी हालत बहुत ही खराब है। ऐसे अनेक मान्यूमेंट्स हैं। क्या इन शहीदों की याद में जो ऐसे मान्यूमेंट्स हैं उनके रख-रखाव की व्यवस्था हमारा जो संस्कृति विभाग है वह लेना चाहेगा, यह मेरा प्रश्न है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं आभारी हूं माननीय सदस्या का जो उन्होंने एक स्पेसिफिक इंस्टांस देकर इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि चौरीचौरा और कई अन्य स्थान जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों की शहादतें हुई, उनका रख-रखाव ठीक नहीं है। तो इस आधार पर ही या तो गृह मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय प्रदेशों को आवश्यक हिदायत देगा।

श्री नागेन्द्र नाथ औझा: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि शहीदे आजम भगतसिंह की जीवनी या अन्य शहीदों की जीवनी को प्राइमरी स्टेज से कालेज लेवल तक पाठ्य पुस्तकों में रखने के बारे में सरकार क्या नये सिरे से विचार करने के पक्ष में है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह तो मानव संसाधन मंत्रालय का सवाल है। यदि आप उनको सजेशन देंगे तो वह जरूर सोचेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खान: चेयरमैन साहब, कल भी इस तरह का एक सवाल था जिसमें फ्रीडम फाइटर की यादगार के सिलसिले में राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों के फंड का पैसा दिए जाने के प्रावधान के बारे में बात कही गई थी। तो क्या गृह मंत्रालय इस सिलसिले में खुद प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करके क्योंकि यह नामुमकिन नहीं है ड्राउट के सिलसिले में या जब कोई ऐसी आपदा हो तो सदस्यों का पैसा, जो दूसरे प्रदेश के भी हैं, उनका पैसा इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि तहरीके आजादी के लोग जो हमारी धरोहर भी है और उनमें हरीके आजादे के बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी याद में, जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि उनकी यादगार बनी तो है लेकिन याद वही यादगार रहेगी जो बनने के बाद कायम रह जाए। यादगार अगर वक्त के साथ मिट गई तो आजादे के तहरीक के बहुत से नाम मिट जायेंगे। इसलिए क्या कोई ऐसा प्रावधान सोचा जा सकता है जिससे

जो पैसा सांसदों को मिलता है, एक लिस्ट बनाकर कुछ नाम उसमें हों कि इनकी यादगार में इन पैसों को भी खर्च किया जा सकता है, इस पर क्या सरकार सोचेगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सांसदों को जो अपने क्षेत्र के लिए धनराशि मिलती है, उचित होगा अगर वह उनके ही क्षेत्र में या उनके प्रदेश में कोई ऐसी यादगार हो या कोई ऐसी यादगार यदि न बनी हो तो क्या उसको बनाया जाए वह इसके लिए अपने अपने स्टेट में स्वयं निर्णय करें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री मोहम्मद आजम खान: कल ही नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सिलसिले में यहां पर बात आई थी। यह हम सब की ख्वाहिश है कि हम कुछ न कुछ इसमें कन्ट्रीब्यूट करें। अंडमान और निकोबार के सिलसिले में कहा गया था। अंडमान की अपनी एक तवारीख है। इस सिलसिले में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चाहे वह छोटी ही रकम हो। अगर सदस्यों का हिस्सा इसमें हो सके तो इस पर तो सोचा जा सकता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मेरी जानकारी में इस विषय में कांस्टीटुयेंसी फंड का उपयोग कैसे हो सकता है, दूसरे प्रदेश में हो सकता है या नहीं हो सकता है, जिस कार्य के लिए दिया गया है, उसके अतिरिक्त किसी और कार्य के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर विचार करने के लिए डिप्टी चेयरमैन की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनी हुई है। मैं समझता हूं यह उन्हीं का विषय है।

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी: श्रीमन् आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे सूरमाओं ने अपनी जानें दी। उस जमाने के गज़ेटियर्स जिलों में मौजूद हैं, आज भी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। उसमें हमारे इन शहीदों को जिन्होंने अपनी जानें निसार की, उनको गलत नामों से लिखा गया है। किसी को डकैत कहा गया है, किसी को बागी लिखा गया है, किसी के लिए किसी और अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। वह गज़ेटियर्स आज भी हर जगह मौजूद हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय संबंधित डिपार्टमेंट के जरिये गज़ेटियर्स की जांच कराएंगे और उन गज़ेटियर्स से उन चीज़ों को निकालने के लिए कार्यवाही करेंगे? 1857 के गदर से ले कर 1947 तक जितने भी शहीद हुए, जैसे फतेहपुर में डिप्टी हिकमतुल्ला एक आई.ए.एस. या पी.सी.एस. जो भी उस वक्त होगा, वह अफसर चार रोज़ तक काबिज़ रहा। उसके बाद उसकी गर्दन उड़ा कर कोतवाली में लटका दी गई लोगों के देखने के लिए क्योंकि उसने आजादी का ऐलान किया था। आज भी वहां कोतवाली बनी हुई है। उस पर कोई मौनुमेंट बनाने की बात नहीं की जाती है। जब भी बात की जाती है तो यह कहते हैं कि दिल्ली लिखा जाए और बराबर लिखा गया लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय गृह मंत्री जी गज़ेटियर्स से इस तरह की बातों को निकालने के लिए, इस तरह के अपशब्दों को जो हमारे शहीदों के लिए लिखे गये हैं, निकालने के लिए कोई कमेटी बनाएंगे जो इन गज़ेटियर्स की जांच करे, क्या आज 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह वक्त नहीं आया है? क्या आप मेरे सुझाव पर विचार करेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति महोदय, अंग्रेज़ों के शासन के समय इस प्रकार की विकृतियां अनेक स्थानों पर हुई, लिखित में हुई, मौखिक रूप से हुई और एक कमेटी बना कर के उसको एग्जामिन करने के बजाय जैसे अभी आपने ध्यान दिलाया है, जहां पर माननीय सदस्यों के ध्यान में कोई विकृति आए, डिस्टॉशन आए, परवर्शन आए, उसकी ओर ध्यान दिलाएं तो ज्यादा उचित होगा। सरकार निश्चित रूप से डिस्टॉशन और परवर्शन को दूर करेगी।

श्री शंकर राय चौधरी: सभापति महोदय, मेरा सवाल यह है कि क्या आजादी की लड़ाई में शहीदों का सिलसिला 15 अगस्त, 1947 को खत्म हो गया? क्योंकि हम मानते हैं उसी आजादी की हिफाजत 26 अक्तूबर, 1947 को हम लोगों ने फिर की थी। एक प्रोपोज़ल था कि जो हमारे मार्टीयर्स मेमोरियल फार डिफेंस फोर्सिज़ हैं, उसको जो अभी नेशनल स्पोर्टस् क्लब का स्टेडियम है, वहां बनाया जाए। उस वक्त हमको जवाब मिला था कि यहां अगस्त क्रान्ति मैदान बनेगा और उस वक्त हमने यह जिक्र किया था सरकारी माध्यम से कि आजादी की लड़ाई और आजादी की सुरक्षा की लड़ाई को अलग तरीके से नहीं देखना चाहिये और जो वार मेमोरियल है वह राजपथ की दूसरी साइड पर जो नेशनल स्पोर्टस् क्लब है, वहां बनना चाहिये। क्या हमारे माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे कि इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है या नहीं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आपने जो पूर्व का संकेत दिया है कि पहले कोई ऐसी बात हुई थी, कोई आश्वासन दिया गया था, अगर आप उसके बारे में मुझे स्पेसेफिकली लिख कर दे देंगे तो मैं जरूर फॉलो अप करुंगा। मेरी जानकारी में नहीं है कि कभी किसी सरकार ने यह आश्वासन दिया कि वहां पर हम वार मेमोरियल बनाएंगे या जिन्होंने आजादी की रक्षा के लिए शहादत दी, उनके लिए बनाएंगे। संसद में हुआ हो या आपकी बातचीत में हुआ हो या हो सकता है आपकी डिफेंस मिनिस्टरी के पास हो, आप लिखेंगे तो मैं जरूर आवश्यक अधिकारियों से मामला उठाऊंगा।

श्री शंकर राय चौधरी: मेरा वक्तव्य यह था कि सरकार ने उस वक्त इसको नामंजूर कर दिया था कि वहां नहीं बनाएंगे।

SHRI L.K. ADVANI: You might again write to me.

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, I recollect an occasion when the Defence Minister transferred very valuable documents about the martyrs to the Department of Culture. At that time I was the HRD Minister and was holding charge of the Department of Culture also. It had happened. We had decided that a State-wise list of martyrs should be made and sent to all the States. It was also decided by the National Committee on Golden Jubilee Celebrations of Independence, when we were celebrating the golden jubilee year of our freedom, that for each martyr the State Government, the Central Government and the NGOs together should construct a statue or something which would inspire the posterity. The

proceedings of the National Committee on Golden Jubilee Celebrations of Independence may not be with the Home Ministry. There was a separate Committee. The hon. Member, Dr. Karan Singh, was the Chairman of the Sub Committee. There are certain proceedings. They are not exactly under the Home Department. If all those things are collected, you will get a lot of material. Will the Government do that?

SHRI L.K. ADVANI: Sir, I will follow up the hon. Member's query with the Department concerned.

*447. [The questioner (Shri Khagen Das) was absent for answer, *vide* Page 24 *infra*].

Production of Energy from Municipal and Industrial Wastes in Bihar

*448. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up projects for production of energy from municipal and industrial wastes in the State of Bihar;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Central Government have taken up the matter with the State Government of Bihar;

(d) if so, the response from the State Government; and

(e) the number of such projects which are likely to be established in the State and by when?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI M. KANNAPPAN): (a) and (b) No proposal is under consideration for setting up projects for production of energy from municipal and industrial wastes in the State of Bihar.

(c) All the States, including Bihar, have been requested to announce policy guidelines conductive for the promotion of waste-to-energy projects.

(d) State Government of Bihar has not so far announced any policy guidelines in this regard.

(e) Does not arise in view of reply to (a) and (b) above.

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि बिहार ने कोई भी प्रोपोजल जमा नहीं किया है। उन्होंने अपने जवाब में यह भी बताया कि और राज्यों